हम कौन हैं

राष्ट्रीय श्रम संबंध बोर्ड (NLRB) 1935 में बनाई गई एक स्वतंत्र संघीय एजेंसी है और इसे यह सत्ता प्रदान की गई थी कि वह कर्मचारियों को संगठित होने, बेहतर कार्य स्थितियाँ खोजने के लिए एक दूसरे से जुड़ने, अपनी ओर से अपने नियोक्ता के साथ सौदेबाज़ी करने या न करने के लिए सामूहिक सौदेबाज़ी प्रतिनिधि चुनने या न चुनने के अधिकार की रक्षा कर सके। NLRB निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं और यूनियनों द्वारा किए जाने वाले अनुचित श्रम व्यवहार को रोकने और उसका समाधान करने के साथ ही यूनियन प्रतिनिधित्व के संबंध में गुप्त-मतपत्र चुनाव भी आयोजित करता है। NLRB दो शाखाओं में बटी एक एजेंसी है जो एक तरफ़ पांच सदस्यीय बोर्ड द्वारा और दूसरी तरफ़ एक जनरल काउंसल द्वारा शासित होती है। बोर्ड के सदस्यों और जनरल काउंसल की नियुक्ति सीनेट की सहमति से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 1935 के संशोधित किए गए राष्ट्रीय श्रम संबंध अधिनियम के तहत एजेंसी की जिम्मेदारियां और कार्य, राष्ट्रीय श्रम संबंध बोर्ड और उसके जनरल काउंसल द्वारा किए जाते हैं, जो संविधि के तहत स्वतंत्र प्राधिकार के अलावा, बोर्ड से प्रतिनिधान द्वारा अन्य प्राधिकार का प्रयोग करते हैं।

बोर्ड

बोर्ड में पांच सदस्य होते हैं और यह मुख्य रूप से प्रशासनिक कार्यवाहियों में औपचारिक रिकॉर्ड के आधार पर मामलों पर निर्णय लेने में एक अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है। बोर्ड के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की सहमति से 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है, हर साल एक सदस्य का कार्यकाल समाप्त होता है।

न्यायाधीशों का प्रभाग

NLRB के प्रशासनिक कानून न्यायाधीश (एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जज) वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क और सैन फ़्रांसिस्को में कार्यालयों के माध्यम से काम करते हुए देश भर में अनुचित श्रम व्यवहार के मामलों की सूची तैयार करते हैं, उनकी सुनवाई करते हैं, उनका निपटान करते हैं और निर्णय लेते हैं।

जनरल काउंसल

राष्ट्रपति द्वारा 4 साल की अवधि के लिए नियुक्त जनरल काउंसल, बोर्ड से स्वतंत्र होता है और अनुचित श्रम व्यवहार के मामलों की जाँच पड़ताल और अभियोजन और मामलों के प्रसंस्करण में NLRB फ़ील्ड कार्यालयों के सामान्य पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होता है।

महानिरीक्षक

महानिरीक्षक कार्यालय के बारे में और जानें

हमारा इतिहास

राष्ट्रीय श्रम संबंध बोर्ड को राष्ट्रीय श्रम संबंध अधिनियम लागू करने के अपने इतिहास पर गर्व है। महामंदी से शुरू होकर द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद हुए आर्थिक विकास और चुनौतियों के दौरान, NLRB ने कर्मचारियों को सामूहिक रूप से सौदेबाजी करना चुनने पर उस अधिकार की गारंटी देने के लिए काम किया है। नेतृत्व

संगठन चार्ट

NLRB संगठन चार्ट

NLRB टीम में शामिल हों

अधिग्रहण

परिचय यह जानकारी उन व्यवसायों की सहायता करने के लिए तैयार की गई है जो अपने उत्पादों और सेवाओं को राष्ट्रीय श्रम संबंध बोर्ड (NLRB) को बेचने में रुचि रखते हैं। यह सूचना पत्र आम तौर पर NLRB द्वारा की जाने वाली खरीदारी पर लागू होने वाली खरीद प्रक्रियाओं और नीतियों के बारे में बताता है। यह दस्तावेज़ व्यापक रूप से खरीदी गई चीज़ों के प्रकार, उन्हें कौन खरीदता है और उन्हें कहाँ से खरीदा जाता है, इनके बारे में बताता है। विशेष रूप से छोटे, वंचित, सैनिक सेवा में अक्षम हुए पूर्व-सैनिक के स्वामित्व वाले छोटे व्यवसायों और महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों के लिए निर्देशित जानकारी भी शामिल है।